17/11/24 मजदूरी प्रार्थी लादूराम के उपस्थित वकील श्री HR पुरोहित के पिटीशन तकरीरी का आदेश पेश होने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थी ने आदेश पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण / प्रार्थी आदेश में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है आदेश निरस्त करना चाहते है। प्रतिवादी के पश्चात वकील प्रार्थी श्री HR पुरोहित द्वारा श्री प्रार्थी के निवेदन पर आदेश लेख निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। मिसल बाद तकमील कार्यालय मुंसिफ लेख के सुपुर्द हो।

उप खण्ड अधिकारी
नोहरामगढ़